

राजस्थान लोक अदालत अधिनियम 1983 द्वारा-2016
 दिनांक 24/6/2016
 राजस्थान लोक अदालत अधिनियम
 द्वारा-2016
 श्रीमान् अधिवक्ता अदालत अ.ड.उ.उ.सी.द्वारा 21/11/2016

दि. 20/7/2016

मदनलाल ७०० प्रभुलाल जाति केरु मि० केरुद्वारा उपस्थित
 बनाम

1. अमरलाल ७०० रामलाल जाति गुजर मि० केरुद्वारा
2. पापू ७०० अमरलाल जाति गुजर मि० केरुद्वारा
3. चमराज ७०० अमरलाल जाति गुजर मि० केरुद्वारा

अन्तर्गत धारा 183(बी) R.T. Act.

दिनांक 24/6/16

आपने प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों के तथ्य इस
 प्रकार हैं कि प्रार्थना की शिकायत गुजरात से कानून सं. 155 सं. नं. 516
 सं. 1.61 है। कारणों की प्रतिक्रिया दिखती है। राजस्थान से प्रार्थना
 खारिज है। तथा श्री अ.ड.उ.उ. शाखा केरुद्वारा के तथ्य दर्शाते हैं। उक्त
 प्रतिक्रिया में प्रार्थना ने निवेदन किया है कि अप्रार्थित 1-2-3
 में अवरुद्ध कानून कर लिया है। तथा कारणों की प्रतिक्रिया दी जा रही है।
 प्रार्थना अदालतों का सहायता है। यही प्रार्थना के परिणाम का फलानु
 प्राप्त होगा। उक्त प्रार्थना की प्रतिक्रिया गुजरात से कानून
 सं. 1.61 है।

प्रत्येक दर्त रजिस्टर कर अप्रार्थितों को नए गैरिड
 तलब किया गया। प्रार्थितों में उपस्थित होकर स्वयंसेवक मिलकर
 लिखित में कोई निवेदन नहीं दिया। प्रतिक्रिया रूप में कारणों की
 प्रतिक्रिया प्रार्थना के खरीदी हो परंतु रजिस्ट्री नहीं
 कराई गई है। उक्त प्रतिक्रिया आरंभ पर ही यही कानून
 है।

(2)

प्रकरण में पटवारी हलका से रेकार्ड) व प्रॉर्ट की रिपोर्ट
लीगैट रिपोर्ट पटवारी में बरका की रेकार्ड अनुसार प्रमाण पुडाला
की खाने . 516 खाना 2.61 है. उक्त खाने पर प्रमाण लाल ७० प्रमाण
जारी करके मांग करके उक्त खाने (कै) उक्त विवादित आशानी पर
अमलाल ७० प्रमाण लाल प्रमाण में करके उक्त खाने पत्तू, धनराज ७० अमल-
लाल प्रमाण में करके उक्त खाने का है।

पटवारी में अलान राणस रेकार्ड की गले) रिपोर्ट आदि का
व्यवस्थापक को सुना गया। उक्त विवेचन पर हम उक्त विवेचन
पर पटवारी में, प्रार्थी एक अनुप गारंटी का डक है। प्रार्थी
प्रमाण पुडाला के खाने ७-155 खाने . 516 खाना 1.61 है. उक्त मा
रेकार्ड अनुसार खाने का है। अप्रार्थी प्रमाण उपलब्ध है उक्त प्रार्थी
के उक्त खाने की शर्त खरीद कर मांग करके खरीद कर लिया है।
लेकिन शर्त नहीं करवाई गई है। उक्त विधि पर रूप रूप का
मई माध्य प्रमाण नहीं किया है। पटवारी हलका में रिपोर्ट अनुसार
विवादित आशानी पर प्रमाण लाल अमलाल ७० प्रमाण लाल प्रमाण तथा
पत्तू, धनराज ७० अमल लाल प्रमाण में करके उक्त खाने में उक्त
करके है। अतः प्रार्थी के खाने की उक्त विवादित आशानी पर
अप्रार्थी प्रमाण का अविधिक रूप से करके है। इसलिए अप्रार्थी प्रमाण
को विवादित आशानी में करके उक्त खाने के आदेश दिए गले है।
शु. अमलाल प्रमाण पटवारी हलका में पालन है
हरीर जारी है। प्रार्थी शामिल करके है।

निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

अमलाल सिंह
R.T.S
नरसिंहदास राणस